23.12.2017

<u>आवेदक / अभियु</u>क्त इंदरीश की ओर से श्री आर.सी. यादव अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघैल अतिरिक्त अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

विचारण न्यायालय को मूल आपराधिक प्रकरण कमांक <u>840 / 12</u> उनवान राज्य द्वारा पुलिस थाना मौं बनाम इंदरीश खां का मूल अभिलेख प्राप्त।

आवेदक के जमानत आवेदन के साथ आवेदक इंदरीश के भाई शाहिद अहमद खां का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया।

आवेदन एवं शपथपत्र में इस प्रकृति का प्रथम आवेदन बताया गया है।

जमानत आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये। आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि दिनांक 15.08.2016 को उसके बाबा इलाही का देहान्त हो गया था इस कारण वह उपस्थित नहीं हो सका था, जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विरोध किया गया है तथा आवेदन को निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।

उभयपक्ष को सुने जाने एवं विचारण न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि मामला 279, 337, 338 (2 शीर्ष) एवं 304 भा.द.सं. का है।

आवेदक इदरीश दिनांक 10.09.2014 को पूर्व में अनुपस्थित हुआ था और दिनांक 22.04.2015 को स्वयं उपस्थित हो गया था। इसके बाद दिनांक 04.10.2016 को अनुपस्थित हुआ था और दिनांक 20.12.2017 को वह स्वयं उपस्थित हुआ है और उसक जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया है। आवेदक लगातार लगभग एक वर्ष की अवधि से अनुपस्थित है इस प्रकार से अभियुक्त दिनांक 20.12.2017 से अर्थात 4 दिवस से निरोध में है। पूर्व में प्रकरण राजीनामा हेतु भी नियत हो चुका है। अतः मामले की संपूर्ण परिस्थितियों एवं तथ्यों को देखते हुए आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आवेदक का जमानत आवेदन इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि उसके मुचलके की राशि में से पांच सौ रुपए की राशि राजसात की जाती है, जो कि आवेदक अपनी जमानत प्रस्तुत करने से पूर्व विचारण न्यायालय के समक्ष जमा करेगा।

आवेदक की ओर से 20000 / — रुपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रैट के समक्ष प्रस्तुत करने पर उसे निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जावे।

- 1. आवेदक विचारण न्यायालय में दी गई नियत तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा।
- 2. अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा और न ही साक्षियों को कोई प्रलोभन उत्प्रेरण या धमकी देगा।
- 3. फरार नहीं होगा।
- 4. बिचारण में सहयोग करेगा।
- विचारण के दौरान आवेदक समान अपराध कारित नहीं करेगा।

यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो यह जमानत आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।

आदेश की प्रति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर पालनार्थ भेजी जावे।

केसडायरी आदेश की प्रति के साथ वापस हो। प्रकरण का परिणाम अंकित कर प्रपत्र अभिलेखागार में भेजे जावें।

> (मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड